—: प्रेस विज्ञप्ति :—

एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजनान्तर्गत कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन विषयक

संचालनालय, कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्र0/एक्स.रि/कृ.पु./70/2017—18/229 रायपुर दिनांक 29.07.2017 में दिये निर्देशानुसार धान, दलहन एवं तिलहन उत्पादन एवं उद्यानिकी, पशुपालन एवं मछलीपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृषकों को जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजनान्तर्गत कृषक पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है, साथ ही जिले में कार्यरत् उत्कृष्ट स्व सहायता समुह को भी पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है कृषक द्वारा जिला व विकासखण्ड हेतु पृथक—पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगें, परंतु एक वित्तीय वर्ष में एक ही स्तर के पुरस्कार हेतु उनका चयन किया जावेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है। कृषक जिन्हे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है वे निर्धारित आवेदन फार्म अपने विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में दिनांक **31.08.2017 सांय** 5.00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करें। विकासखण्ड स्तरीय पुरस्कार में प्रति उत्कृष्ठ कृषक को राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा, अतः जिले के कृषकों को सूचित किया जाता है कि आप अपने विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर एवं आवेदन पूर्ण रूप से भरकर जिसमें मोबाईल नं. अनिवार्य रूप से दर्ज कर आवेदन के साथ कृषक अपना फोटो परिचय पत्र, धारित रकबा का नक्शा खसरा बी—1 की नकल, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के पुष्टि हेतु आवश्यक सहपत्र तथा सफलता की कहानी सहित समय निर्धारित तिथि में जमा कर सकते है।

कृषक पुरस्कार	राशि प्रति कृषक प्रति वर्ष	क्षेत्रवारा निर्धारित कृषक संख्या						योग
		कृषि (धान)	कृषि (दलहन)	कृषि (तिलहन)	उद्यानिकी	पुशपालन	मत्स्य पालन	
जिला स्तरीय	25,000/—	2	1	1	2	2	2	10
विकासखण्ड स्तरीय	10,000/—	2	1	1	2	2	2	10
उत्कृष्ट समुह	20,000/—	1			1	1	1	4

प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा)
सह उप संचालक कृषि,
जिला —बस्तर, जगदलपुर